

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सेहणूदा व भू अभिलेख निरीक्षक जिला भीलवाड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सेहणूदा पटवार हल्का सेहणूदा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 40, 42, 65, 66 (यू.ए. में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
↓	सेहणूदा	40, 42, 65, 66. 46 (लीरा का)	नैपाल पुत्र लक्ष्मण खाती	महीपाल पुत्र लक्ष्मण खाती

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (कार्य)
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 23/11/21

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 03

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री महीपाल पुत्र लक्ष्मण खाती

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (कार्य)
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

